संख्या-40/2019/266/41-2019-02 (वि0आ0)/2018

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी, 2019**

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5958/2018, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या में दीपोत्सव के सम्पन्न आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हुए अतिरिक्त धनराशि को वहन किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-44 के राजस्व लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14- पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में हो रही बचत से लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-15-अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन-42-अन्य व्यय मद में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2018 बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जी रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रश्नगत आयोजन हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या-179/2018/3519/41-2018-02 (वि0आ0)/2018, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 एवं शासनादेश सं0-184/2018/3570/41-2018-02 (वि0आ0)/2018 दिनांक 05 नवम्बर, 2018 द्वारा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का व्यय निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत किये जाने के पश्चात ही प्रस्तर-2 में पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार ही किया जायेगा तथा प्रस्तावित आयोजन हेतु मदवार व्यय का विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-56/2017/2328/41-2017-01 (बजट)/2017, दिनांक 03 नवम्बर, 2017 द्वारा वर्ष 2017 में दीपोत्सव के आयोजन हेतु निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का प्रामाणिक मदवार व्यय-विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा पूर्व वर्षो में इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरित लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उसका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चत किया जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या आर0ई-354/दस-2019 दिनांक 08 फरवरी 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 (धनराशि रूपये लाख मे

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा**		**निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण**				**वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा**	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व मद	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान/ अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**	**लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में)**	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14- पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)	7000	7000	300	300	--	3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-15-अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन-42-अन्य व्यय मद	250	750	300	300	550
योग	7000	7000	300	300	--	**योग**	250	750	300	300	550

नोट-1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः- पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान दिये जाने के मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष लगभग रू0 6800.00 लाख की बचत सम्भावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नालिखित कारणों से है। अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अत्याधिक धनराशि व्यय हो जाने के कारण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव
पर्यटन विभाग।

संख्या-आरई0- 354 / दस-2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या- 40/2019/266(1)/41-2019-02 (वि0आ0)/2018 दिनांक 14 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- आयुक्त अयोध्या मण्डल।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ अयोध्या ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, अयोध्या।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।